न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/179**

दायर दिनांक **01.06.2017**

वादी		प्रतिवादी
1. बेगाराम पुत्र चुनाराम, जाति–जाट, निवासी–बकवास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा–136 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **04.09.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम बकवास वादी स्थाई निवासी है और कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वादी का काका छोटुराम अविवाहित नाऔलाद फौत हो चुके है व उन्होंने अपने जीवनकाल में खेत खसरा नम्बर 108 रकबा 43.01 बीघा व खेत खसरा नम्बर 165/108 रकबा 08 बिस्वा वाकै सरहद बकवास में आया हुआ है जिसका कुल रकबा 43.09 बीघा है जिससे मेरे पिता चुनाराम पुत्र किस्तुराराम का हिस्सा 1/3 में से 1/2 में से 1/7 है व इतना ही हिस्सा मेरे काका छोटुराम का था जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 29.07.2003 में ही अपने हक अधिकार भूमि का हकतर्क मेरे पिता के पक्ष में कर दिया था।

हकतर्क होने से मेरे पिता का हिस्सा 1/3 का 1/2 का 1/7 हिस्सा हकतर्क से व 1/7 हिस्सा स्वयं के हिस्से से आने थे परन्तु हकतर्क से आयी भूमि तो वादी के नाम से खातेदारी में दर्ज हो गयी परन्तु पैतृकता से आयी भूमि वादी के नाम से भूलवश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से शेष रह गयी।

वादी के दादा का नाम किस्तुराराम के स्थान पर किरता अंकित किया हुआ है एवं खातेदारी भूमि में 2/7 के स्थान पर भूल से 1/7 ही दर्ज है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाकर वादी के पिता के नाम 1/3 का 1/2 में से 2/7 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त की जावे एवं मेरे दादा का नाम "किरता" के स्थान पर "किस्तुराराम" दुरस्त किया आवश्यक है।

प्रार्थना वादी है कि,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

खेत खरारा नम्बर 108 रकबा 43.01 बीघा, खेत खसरा नम्बर 165/108 रकबा 08 बिस्वा में राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाकर मेरे पिता के नाम 1/3 की 1/2 भाग में से 2/7 भाग भूमि रिकॉर्ड में दर्ज की जावे एवं मेरे दादा का नाम "किरता" के स्थान पर "किस्तुराराम" किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में PW–01 शपथ–पत्र दावा के साथ पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2064–2067, प्रदर्श–02 चुनाराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श–03 पंजीबद्ध हक तर्कनामा की छायाप्रति अपने वाद के समर्थन में वाद के साथ पेश की।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। खेत खसरा नम्बर 108 रकबा 43.01 बीघा, खेत खसरा नम्बर 165/108 रकबा 08 बिस्वा में राजस्व रिकॉर्ड में वादी के दादा का नाम "किरता" के स्थान पर "किस्तुराराम" किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः बाद विवचेन, दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद बकवास में खेत खसरा नम्बर 108 रकबा 43.01 बीघा, खेत खसरा नम्बर 165/108 रकबा 08 बिस्वा में से 1/3 की 1/2 भाग में से 2/7 भाग भूमि वादी के पिता की खातेदारी में दर्ज किया जावे व इसके राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के दादा का नाम "किरता" के स्थान पर "किस्तुराराम" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **04.09.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/179** दायर दिनांक **01.06.2017**

वादी		प्रतिवादी
1. बेगाराम पुत्र चुनाराम, जाति–जाट, निवासी–बकवास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा–136 R.T.Act.

दिनांक **04.09.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, अधिवक्ता, वादी ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद बकवास में खेत खसरा नम्बर 108 रकबा 43.01 बीघा, खेत खसरा नम्बर 165/108 रकबा 08 बिस्वा में से 1/3 की 1/2 भाग में से 2/7 भाग भूमि वादी के पिता की खातेदारी में दर्ज किया जावे व इसके राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के दादा का नाम "किरता" के स्थान पर "किस्तुराराम" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **04.09.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner